

12.12.2020

चालान प्रस्तुत किया गया अभियुक्त अपने जुर्म का इकबाल करता है अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को एक दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

सी०जे०एम०- मेरठ।

*His is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy please refer to certified copy*